



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



क: SECR-R0PERS(Cadre-II)/2024/48370

दिनांक: 02.04.2025

अधिसूचना संख्या-14/2025

NOTIFICATION NO.-14/2025

विषय: रायपुर मंडल/दपूमरे के अभियांत्रिकी विभाग में पे मैट्रिक लेवल -7 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद को भरने के लिए पैनल का गठन।

Sub: Formation of panel for filling up the post of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level-7 of Engineering Department of Raipur Division/ SECR.

रायपुर मंडल/ दपूमरे के अभियांत्रिकी विभाग में 100% DPQ के तहत पे मैट्रिक्स लेवल-7 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के 01 पद को भरने के लिए पैनल बनाने का प्रस्ताव है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है/ : It is proposed to form a panel for filling up of 01 (One) post of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level-7 against 100% DPQ in Engineering department of Raipur Division/SECR. The break-up of vacancies is as under:

समुदाय / Community	अना./UR	अजा./SC	अजजा./ST	कुल/Total	PwBD(B,LV)
रिक्तियों की संख्या /No. of vacancies	01	00	00	01	01

1. कर्मचारियों की पात्रता और सेवा शर्तें :ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

1.1 कर्मचारी जिन्होंने मौजूदा ग्रेड में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा ग्रेड अर्थात कार्यालय अधीक्षक में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नत किया जाएगा।

Staff who have completed minimum one-year service in existing grade are eligible for empanelment to the post of Chief Office Superintendent in PML-7, but they will be promoted only after completion of two years service in existing grade i.e. in Office Superintendent.

1.2 मुख्य कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी को गैर-चयन पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कर्मचारियों को 1: 1 के अनुपात में बुलाया जाएगा। रिक्ति, निर्धारित बेंचमार्क के साथ वरिष्ठता सह उपयुक्तता से भरी जाएगी। The category of Chief Office Superintendent is classified as non – selection post. Hence, staff is to be called in 1:1 ratio. The vacancies are to be filled up by seniority cum suitability with prescribed benchmark.

2. उपयुक्तता हेतु प्रक्रिया /PROCEDURE FOR SUITABILITY:

2.1 पिछले तीन वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की जांच, एपीएआर की ग्रेडिंग और डी एंड ए मंजूरी के आधार पर उपयुक्तता का निर्धारण किया जाएगा। /Suitability will be conducted on the basis of scrutiny of service records, grading of APARs for the last three years and D&A clearance.

2.2 उम्मीदवारों को अंतिम तीन वर्षों के एपीएआर में कुल मिलाकर 15 में से 8 अंक हासिल करने होंगे। /The candidates has to secure 08 marks out of 15, as aggregate in last three years APARs.

3. विचार क्षेत्र के अधीन कर्मचारी / STAFF UNDER ZONE OF CONSIDERATION:

स्थापना नियम संख्या 94/2024 के अनुसार कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी अभियांत्रिकी विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल -7 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचाराधीन हैं तत्काल निचले ग्रेड में पीडब्ल्यूबीडी (बी,एलवी) स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण को अगली उपयुक्तता तक आगे बढ़ा दिया गया है। The following staff working as Office Superintendent is under zone of consideration for promotion to the post of Chief Office Superintendent in pay matrix level-7 in Engineering Department as per Estt.Rule No. 94/2024. Due to non availability of PwBD (B,LV) staff in the immediate lower grade, the reservation for PwBD has been carry forwarded to next suitability.

क्र.सं Srl N	पी.एफ.सं. .PF NO.	नाम NAME	पदनाम /स्ते. Design/Stn	अभ्युक्ति REMARKS
1	39307971631	SRI ANSHU PANDEY	OS	Against UR

रायपुर मंडल के अभियांत्रिकी विभाग के नियंत्रण अधिकारी/पर्यवेक्षक सभी पात्र कर्मचारियों में अधिसूचना का व्यापक प्रचार करेंगे तथा अधिसूचना को सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की होगी।

The controlling officer/supervisor shall give wide publicity of notification to all eligible staff of Engineering Department of Raipur Division and notification should be displayed at conspicuous place. It should be the responsibility of Senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect.

4. अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यदि कोई हो / (LAST DATE FOR SUBMISSION OF REPRESENTATION/OBJECTION (IF ANY):

मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन/आपत्ति, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 3 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें विफल होने पर यह माना जाएगा कि पात्रता सूची के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं है और तदनुसार अभियांत्रिकी विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 7 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित कर्मचारियों की अंतिम उपयुक्तता के लिए मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

Representation/Objections against eligibility list for promotion to the post of Chief Office Superintendent if any may be submitted to this office **within 3 days from the date of issue of this notification**, failing which it shall be presumed that there is no representation against the eligibility list and accordingly case shall be processed for final suitability of the staff concerned for promotion to the post of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level – 7 in Engineering Department.

उक्त अधिसूचना दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के वेबसाइट <http://www.secr.indianrailway.gov.in> में देखी जा सकती है।
Link of the Home page./DIV of SECR → Division → Raipur → Personnel → Notifications

सहायक कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि /Copy to: वमअभिरायपुर/ समन्वय., डीसी / एसईसीआरएमसी / रायपुर, डीएस / एआईएससी-एसटीआरईए / रायपुर एवं डीएस / एआईओबीसीइए /रायपुर। /Sr.DEN(Co-ord.)/R, DC AISCSTREA/R, DS-AIOBCEA/R.

Digitally Signed by-
Indrajeet Kumar Sinha

Date: 02-04-2025 17:28:03

कृते, वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी